



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062021-227565
CG-DL-E-14062021-227565

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2105]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943

No. 2105]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/JYAISTHA 21, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2021

का.आ. 2265(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पञ्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट भूमि के खंड के संबंध में बिहार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-81 के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 4.600 तक (कटिहार बाईपास) के निर्माण (चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण), अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भू-खंड के संबंध में इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-81 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31) के कटिहार बाईपास कि०मी० 0.000 से 4.600 कि०मी० तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित गाँवों का संक्षिप्त विवरण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, कटिहार	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH81 के कि.मी. 0 से 4.6 तक	बिहार	कटिहार	कटिहार	1 रामपुर / 75

[फा. सं. RW/PAT/NH/81/Katihar Bypass/2020-21]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2021

S.O. 2265(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of Road (widening / 2-laning/4-laning/ROB etc.) maintenance management and operation from Km. 0.000 to 4.600 Km. (Katihar Bypass section) of the National Highway No. 81 in the State of Bihar.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of Katihar Bypass of National Highway No 81 (New NH No. 31) in the state of Bihar on the stretch from Km. 0.000 to 4.600 Km.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Land Aquisition Officer, Katihar	0KM To 4.6KM	BIHAR	Katihar	Katihar	1 Rampur/75

[F. No. RW/PAT/NH/81/Katihar Bypass/2020-21]

RAJESH GUPTA, Director